खंड 1 संख्या 125

राष्ट्र महिला

दिसम्बर 2009 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

केन्द्र सरकार ने एक विशिष्ट योजना लागू करने का निर्णय लिया है जिससे कामकाजी महिलाओं को गर्भाधान के दौरान अपनी पगार में होने वाली हानि से बचने में सहायता मिलेगी।

सशर्त मातृत्व लाभ योजना, जो गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर दोनों ही प्रकार के परिवारों पर लागू होती है, बढ़ाकर अब प्रत्येक गर्भवती एवं स्तनपायी महिला पर लागू करके 4,000 रुपये उसे दिए जायेंगे जिससे उसे पगार अथवा वेतन में होने वाली हानि की भरपाई हो सकेगी।

यह योजना 19 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की महिलाओं पर प्रथम दो शिशु-जन्मों के लिए (जिसमें मृतक शिशु-जन्म भी शामिल हैं) लागू होगी। यह राशि, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जन्म सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली 1,400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में दी जाने वाली 1,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी। आशा है कि इस योजना से प्रत्येक जिले में लगभग 50,000 महिलाएं लाभांवित होंगी।

परन्तु सरकारी संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में कार्यरत

चर्चा में — महिलाओं के लिए नई मातृत्व योजना

महिलाओं पर यह योजना लागू नहीं होगी क्योंकि उन पर सरकारी स्वास्थ्य योजना लागू होती है। उक्त योजना का ध्येय गर्भवती तथा स्तनपायी माताओं एवं उनके शिशुओं के स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार लाना है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया है।

प्रत्येक महिला हितग्राही पर जो आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत होगी, खर्च की जाने वाली यह राशि बच्चे के जन्म के पश्चात् तीन किश्तों में छः मास की अवधि में दी जायेगी।

कामकाजी महिलाएं जैसे निजी स्कूलों की अध्यापिकाएं, सेल्सगर्ल, घरेलू नौकरानियां, फैक्टरियों में काम करने वाली महिलाएं, गृहणियां तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं बशर्ते कि वे गर्भधारण के दौरान स्वयं का पंजीकरण निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र में करा लें।

इस योजना से विशेषकर उन महिलाओं को लाभ होगा जिन्हें सवेतन मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता।

यदि उपयुक्त रूप से इस योजना को क्रियान्वित किया जाये तो इससे शिशु-मृत्यु, मातृत्व-मृत्यु, कुपोषण, बाल-विवाह, नारी भ्रूण-हत्या को रोकने में तथा जोखिम-रहित प्रसूति की अभिवृद्धि में सहायता मिलेगी।

कुछ अलग से

एक 18 वर्षीय लड़की ने अपनी 15 तथा 12 वर्ष की बहनों का बाल-विवाह रोक दिया। यह लड़की रेवाड़ी में बवाल के निकट सुब्बसेदी गांव में रहती है। वह अपने पिता छोटूराम द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध जिला संरक्षा एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास गयी। तत्पश्चात् छोटूराम को इन विवाहों पर अंकुश लगाने वाला आदेश जारी कर दिया गया।

छोटूराम ने 18, 15 तथा 12 वर्ष की इन पुत्रियों का विवाह कनहोरा गांव के तीन भाईयों के साथ निर्धारित कर दिया था। विवाह समारोह 27 नवम्बर को सम्पन्न होने वाला था।

शिकायत प्राप्त होने के अगले दिन जिला संरक्षा एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सुब्बसेदी गांव में गयीं और मामले की तसदीक करने के बाद उन्होंने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक अधिकारी के समक्ष न्यायिक निषेधाज्ञा जारी करने की मांग करते हुए एक मामला दायर किया। छोटूराम ने भी न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि वह अपनी नाबालिग पुत्रियों का विवाह नहीं करेगा। निषेधाज्ञा में यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये विवाह गैर-कानूनी होंगे। बाद में, केवल सबसे बड़ी 18 वर्षीय पुत्री का विवाह ही निर्धारित तिथि पर किया गया।

डायन प्रथा पर कार्यशाला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिला अध्ययन तथा कुछ अन्य संस्थानों के सहयोग में उदयपुर में डायन प्रथा तथा इसके कुप्रभावों पर एक कार्यशाला आयोजित की।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि कुछ महिलाओं को डायन करार देने के लिए अंधविश्वास तथा प्रतिगामी मानसिकता जिम्मेवार हैं। इन दुर्भाग्यशाली महिलाओं को सभी प्रकार की बुराइयों के लिए - जिनमें राष्ट्रीय विपदाएं, घोर वर्षा, सूखा, आर्थिक कठिनाइयां और यहां तक कि अन्य की निःसंतानता भी शामिल हैं - दोष दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि लोगों के मस्तिष्क से अंधविश्वासों को दूर करने में सिविल समाज, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। तथाकथित 'डायनों' का पुनर्वास पेंशन, काम के अवसर, शिक्षा तथा उचित स्वास्थ्य देखभाल द्वारा किया जाना चाहिए और उन लोगों को कठिन दंड दिया जाना चाहिए जोकि कुछ असहाय महिलाओं को 'डायन' कह कर कलंकित करते हैं।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास

डायन प्रथा पर कार्यशाला में सुश्री विजयलक्ष्मी चौहान और डॉ. गिरिजा व्यास

● पत्नी की मृत्यु का संतोषजनक कारण न बता पाने पर पति सज़ा का भागी हो सकता है : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की रहस्यमय मृत्यु का संतोषजनक कारण नहीं बता पाता तो उसे सज़ा मिल सकती है।

भारतीय दंड संहिता के अनुसार, यदि विवाह के सात वर्ष के अंदर किसी व्यक्ति की पत्नी की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाये तो धारा 498(क) के अंतर्गत वह व्यक्ति तथा परिवार के सीधे सदस्य स्वाभाविक संदेहभाजन हो सकते हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस को कानूनी तौर पर यह तहकीकात करनी चाहिए कि महिला को दहेज के लिए तो उत्पीड़ित नहीं किया गया था।

पत्नी की मृत्यु ऐसे स्थान पर होने पर जहां किसी बाहर के व्यक्ति की पहुंच नहीं है, पति को उसकी अस्वाभाविक मृत्यु का कारण स्पष्ट करना होगा। यह न कर पाने की दशा में उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत सज़ा दी जा सकती है।

● सह-वासी भागीदार पर दहेज कानून लागू होता है

एक पुरुष को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए, नई दिल्ली के एक मुकदमा न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ सह-वासी संबंध बना कर रह रही हो तो भी उसे तंग किया जाना दहेज उत्पीड़न है। न्यायालय ने महिला के मृत्यु-समय दिये गये इस बयान को माना कि जिस पुरुष के साथ वह रहती थी उसके द्वारा पैसे की मांग करने पर जब महिला ने इंकार कर दिया तो उसने महिला को आग लगा कर जला दिया।

आरोपी का तर्क था कि वह एक विवाहित व्यक्ति है और उसका विवाह पीड़िता के साथ नहीं हुआ था तथा आरोप पक्ष भी यह साबित नहीं कर सका है कि उस महिला के साथ उसके दाम्पत्य संबंध थे, परन्तु न्यायालय ने यह तर्क इस आधार पर नकार दिया कि 'मृत्यु के कगार पर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा।'

● थोड़े समय साथ रहने पर भी भरण-पोषण

यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ सह-भागी संबंध बना कर थोड़े समय रही हो तो भी वह घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण की हकदार होगी।

नई दिल्ली के एक न्यायालय ने एक पुरुष को अपने साथ 20 वर्ष से सह-भागी का संबंध बना कर रहने वाली महिला को 75,000 रुपये प्रति मास भरण-पोषण, शिकायत दर्ज करने की तिथि से निर्णय दिए जाने की तिथि तक, देने का निर्देश दिया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा, 'प्रावधान में यह नहीं कहा गया है कि सह-भागी संबंध में दोनों किसी विशेष अवधि तक रहे हों अथवा कुछ दिनों तक रहे हों।'

● गर्भवती महिलाओं की नियुक्ति या पदोन्नति न दिए जाने के मापदंड को भारतीय स्टेट बैंक ने समाप्त किया

लोकमत के समक्ष झुकते हुए, भारतीय स्टेट बैंक ने वह विभेदकारी मापदंड समाप्त कर दिया है जिसके अनुसरण में किसी गर्भवती महिला को तुरंत नियुक्ति अथवा पदोन्नति नहीं दी जाती थी। यह कहा जा सकता है कि इसके साथ महिलाओं को समानता प्राप्त करने के अपने अनवरत संघर्ष में एक और बाधा दूर करने में सफलता मिली है।

भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में अपने स्थानीय प्रमुख अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं कि तत्कालिक नियुक्ति या पदोन्नति में गर्भावस्था को अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए। यह निदेश स्टेट बैंक के साझीदार बैंकों पर भी लागू होगा।

सदस्यों के दौरे

'हस्थ-करघा एवं हस्तशिल्प द्वारा टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण' विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गुवाहाटी में एक राज्य-स्तरीय सेमिनार प्रायोजित किया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई मुख्य अतिथि थे।

विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुश्री नीवा कंवर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके

सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री तरुण गोगोई। मंच पर समाज कल्याण मंत्री और सुश्री नीवा कंवर

आर्थिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि उनके हित के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री मृदुला सहारिया की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सेमिनार में राज्य भर से लगभग 400 महिलाओं ने भाग लिया।

विश्व भर की बाल वधुओं की एक-तिहाई संख्या भारत में

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में बाल वधुओं की संख्या की एक-तिहाई भारत में है, जिसके परिणामस्वरूप देश की बढ़ती हुई आधुनिकता तथा आर्थिक उन्नति के बावजूद बच्चों के शोषण का खतरा बढ़ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2007 में भारत में लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं का विवाह 18 वर्ष तक की आयु में हो गया और यह तथ्य उजागर किया है कि भारत तथा नेपाल में बच्चों की सगाई या विवाह 10 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही हो सकते हैं।

दिल्ली में 97% महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, केवल 20% को पुलिस पर विश्वास : सर्वेक्षण परिणाम

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का एक निराशामय वृतांत प्रस्तुत करते हुए, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाली 97% महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और केवल 20% को विश्वास है कि संकट के समय पुलिस उनकी सहायता करेगी। यह सर्वेक्षण अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडलीय खेलों से ठीक पूर्व दिल्ली तथा नई दिल्ली में 12-55 आयु वर्ग की विभिन्न सामाजिक स्तरों की महिलाओं से मिले उत्तरों पर आधारित है।

'सीक्यून' नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों- क्नॉट प्लेस, करोल बाग तथा चांदनी चौक - सर्वाधिक असुरक्षित समझे गये।

चिंतनीय बात यह है कि 98% से अधिक महिलाओं ने कहा कि उन्हें किसी न किसी प्रकार से तंग किया गया। जबकि 36% महिलाओं का कहना था कि उन्हें 'कभी-कभी' तंग किया गया, 19% महिलाओं का अनुभव 'बहुधा' तंग किए जाने का था और 6% महिलाओं को 'हर दिन' यह अनुभव हुआ।

यह और भी भयभीत करने वाली बात है कि सार्वजनिक यातायात प्रणाली अर्थात् बसों में महिलाओं (82%) ने असुरक्षित महसूस किया और दोपहर बाद का समय सर्वाधिक असुरक्षित था।

दिल्लीवासियों का म्लान चित्रण करते हुए, सर्वेक्षण में कहा गया है कि 88% महिलाओं का कहना था कि तंग किए जाने वाली महिला की सहायता के लिए जनता का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया या शायद ही कभी आया, जबकि 95% महिलाओं ने कहा कि तंग किए जाने के डर से उन्होंने बसों में सफर नहीं किया और महज 6% ने पुलिस की सहायता मांगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 60% का कहना था कि 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियां सबसे अधिक असुरक्षित होती हैं जबकि 44% महिलाओं ने परेशान किए जाने के बाद 'चुप रहना' ठीक समझा - जो दर्शाता है कि देश की राजधानी में ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के मामले में शासन अधिकारियों तथा कानून प्रणाली के प्रति उनमें कितना अविश्वास है।

पुरुषों को दूसरा विवाह करने के लिए धर्म-परिवर्तन करने से रोकने के कानून की आवश्यकता

अवसरवादी धर्म-परिवर्तन को रोकने के प्रयोजन से, विधि आयोग ने सिफारिश की है कि पुरुषों को पहला विवाह कानून के अनुसार निरस्त किए बिना दूसरा विवाह करने से रोकने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी जाये।

मंत्रालय को सौंपी गयी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा है कि 'देखा गया है कि ऐसे विवाहित पुरुष जिनका वैयक्तिक कानून द्विविवाह की अनुमति नहीं देता, दूसरा विवाह करने के लिए इस्लाम में धर्म-परिवर्तित होने की अस्वस्थ एवं अनैतिक प्रक्रिया अपनाते हैं।'

आयोग ने सिफारिश की है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में एक नयी धारा 17-क जोड़ कर यह प्रावधान किया जाये कि इस अधिनियम के अंतर्गत विवाहित कोई पुरुष अपना धर्म-परिवर्तन करने के बाद भी तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकता जब तक कि पहला विवाह-विच्छेद कानूनन किया गया हो, और दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक संशोधन द्वारा धाराओं 494-495 को जो द्विविवाह से संबंधित हैं संज्ञेय बनाया जाये।

आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 4 के परंतुक को - जिसमें यह कहा गया है कि यह धारा ऐसी विवाहित महिला पर लागू नहीं होगी जो मूलतः गैर-मुस्लिम थी किन्तु पुनः अपना मूल धर्म अपना लेती है - निरस्त कर दिया जाये।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।